संख्या-61/2016/933/26-3-2016-10(13)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष में निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1889/स0क0/विकास/विवि0ई0श0आ0 - इलाहाबाद(325)/2015, दिनांक--16.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-144/2015/3345/26-3-2015-10(13)/2015, दिनांक-10.12.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-01-789-07-24-वृहद निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष में निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 40 प्रतिशत अर्थात धनराशि रू0-155.00 लाख को नियमानुसार निरस्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या-1072-73/स0क0/विकास/ विवि0ई0श0आ0-इलाहाबाद(325)/2015-16, दिनांक-28.09.2015 द्वारा ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-387.18 लाख का आगणन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसमें आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष, अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया था, जिसके कारण प्रश्नगत विद्यालय को अनुदान संख्या-83 में आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-''4225-01-789-07-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-144/2015/3345/26-3-2015-10(13)/2015, दिनांक-10.12.2015 द्वारा ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0-3,87,18,000/- (रू0-तीन करोड़ सतासी लाख अठारह हजार मात्र) प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात धनराशि रू0-1,55,00,000/-(रू0-एक करोड़ पचपन लाख मात्र) स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अब निदेशालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद समाज कल्याण विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान पर संचालित है।

यदि निदेशालय के उक्त प्रस्ताव में आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष, अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का उल्लेख करते हुये स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती।

3- अतएव निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 में आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-''4225-01-789-07-24-**वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-144/2015/3345/26-3-2015-10(13)/2015, दिनांक-10.12.2015 द्वारा ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0-3,87,18,000/- (रू0-तीन करोड़ सतासी लाख अठारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि 40 प्रतिशत अर्थात रू0-1,55,00,000/-(रू0-एक करोड़ पचपन लाख मात्र) को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह अप्रैल के द्वितीय** सप्ताह तक ईश्वरशरण आश्रम विकास विद्यालय, इलाहाबाद में छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक के साथ स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। **क्यों कि प्रकरण नियम-110से आच्छादित है।**

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-61/2016/933(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक, एन.आई.सी.,उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।